एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7379/2006
मैसर्स तिरुपति मिनरल्स बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

11.4.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री आर.के.माथुर, अधिवक्ता याची की ओर से।

याची के विद्वान अधिवक्ता इस रिट याचिका को नयी रिट याचिका पेश करने की अनुमति के साथ प्रत्याहृत करने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें रिट याचिका को प्रत्याहृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह याचिका प्रत्याहृत किये जाने के आधार पर निरस्त की जाती है। याची नये वाद कारण के आधार पर पुन: रिट याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति